सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1796/RJ/6/2023-ESI **NOTICE** दिनांक: 20.06.2023

सेवा में,

श्री अरुण कुमार पुरोहित,
जिला कलेक्टर ,
जिला बाड़मेर,
कलेक्टर कार्यालय, बाड़मेर,
राजस्थान
ई-मेल: dm-bar-rj@nic.in

विषय: पिछले 8 वर्षों से अनुसूचित जनजाति वृद्ध व्यक्ति को खेत मापने का कार्य नही करने देने पर पटवारी, राजस्व निरीक्षक तिलवाड़ा एवं तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में श्री बालकराम, निवासी-ग्राम पंचायत सिणली जागीर, तहसील-पचपदरा, जिला-बाड़मेर, राजस्थान-344022 की और से दिनांक 15.05.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री बालकराम से दिनांक 15.05.2023** में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

<u>संलग्न यथोपरि.</u>

(हरि राम मीना)
अनुसंधान अधिकारी

<u>प्रतिलिपि संलग्न:</u>

1. **श्री बालकराम,**
   निवासी-ग्राम पंचायत सिणली जागीर,
   तहसील-पचपदरा, जिला-बाड़मेर,
   राजस्थान-344022

2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।